



# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 347 / 2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. बांडा भेंगरा वो 2. रूडी भेंगरा - विक्रेता  
पौलुस नाग - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
15.07.19	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक 1. बाड़ा भेंगरा पिता स्व० कोमला भेंगरा वो 2. रूडी भेंगरा पिता स्व० सामुएल भेंगरा दोनों ग्राम-पतराउयूर, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने पौलुस नाग पिता श्री जोहन नाग ग्राम-जिलिंगबुरु, थाना-तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>पतराउयूर</td><td>47</td><td>24</td><td>603</td><td>0.06</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 585 दिनांक 10.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त खाता प्लॉट आवेदकों के हक हिस्से की भूमि नहीं के कारण भूमि बिक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है। अतः अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> 15/07/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> 15/07/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	पतराउयूर	47	24	603	0.06	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
पतराउयूर	47	24	603	0.06								